## प्ररूप 21 ग

## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन मेंउपयोग के लिए, जब स्थान सविरोधहो )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा | 17 - इ्ंगरगढ़ (सामान्य) विधानसभा निर्चाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री ताराचन्द

ग्राम गुसांईसर बड़ां, तहसील श्रीड्रंगरगढ़, जिला-बीकानेर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: बीकानेर

दिनांक: 03-12-2023

रिटर्निग ऑफिसर

017-डूंगरगढ़ (सामान्य) विधानसभा क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा चुनाव-2023

💆 इंगरगढ़ (17)

## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

## Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN State from the 017-DUNGARGARH (GEN) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SH. TARACHAND

VILLAGE GUSAINSAR BADA, TEHSIL SRIDUNGARGARH, DISTRICT BIKANER

BHARATIYA JANATA PARTY

has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place: Bikaner

Dated: 03-12-2023

(Mukesh Choudhary)

Returning Officer

017- Dungargarh (GEN)

Constituency

रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा चुनाव-2023 डूंगरगढ़ (17)